कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/कक्ष–2/आरा मशीन/1236 भोपाल, दिनांक/ 22/7/03

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषयः–आरा मशीनों की अनुज्ञप्ति का नामांतरण एवं स्थान परिवर्तन बाबत् ।
संदर्भः– कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/कक्ष–2/आ.म./2946 दिनांक 20.12.2001 ।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सशक्त समिति द्वारा उनके आदेश कंमाक/13–10/2001/50 दिनांक 28.9.2001 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैः–

(A) All applications for enhancement of capacity to be rejected forthwith.

(B No application for transfer of ownership due to sale of saw, veneer mills or wood based units be permitted except in the name of the legal heirs in case of death of the owner or by way of distribution of property.

(C) The State should declare fresh 'Prohibited Areas' as per the recommendations of the Expert Committee. Thereafter, permission for transfer of Saw Mills from one place to other by the same owners may be considered in accordance with the recommendations of the Expert Commitee.

सशक्त समिति के आदेशानुसार म0प्र0 शासन वन विभाग के क्रमांक/एफ–30–4–2002/दस/3 दिनांक 23. 003 द्वारा प्रतिसिद्व क्षेत्रों की अधिसूचना प्रकाशित करा दी गई है । अतः आरा मशीन नामांतरण एवं स्थान परिवर्तन संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः–

1 आरा मशीन की अनुज्ञप्ति का नामांतरण आरा मशीन स्वामी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को अथवा सम्पत्ति के बटवारे के आधार पर ही किया जा सकता है । इससे यह स्पष्ट है कि आरा मशीन के विक्रय के फलस्वरूप अनुज्ञप्ति का नामांतरण सशक्त समिति के आदेश का उल्लघंन होगा इस लिये ऐसे सभी आवेदन अमान्य किये जावें ।

2. आरा मशीन का स्थान परिवर्तन उसी आरा मिल स्वामी के नाम पर प्रतिशद्व क्षेत्र की अधिसूचना के अनुरूप ही किया जा सकता है । किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अनुज्ञप्ति का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है ।

कृ.पृ.उ.

अतः आरा मशीनों के स्थल परिवर्तन के प्रकरणों पर गुण दोष के आधार पर सशक्त समिति/ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान मे रखते हुये कार्यवाही की जा सकती है ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/कक्ष–2/आ.म./ 1237 भोपाल, दिनांक/ 22/7/03

प्रतिलिपिः--

अपर सचिव म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल को सूचनार्थ अग्रेषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश भोपाल